न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्रीमति शिल्पा सिंह आर.आई.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
04/2021/वाद पत्र	15.01.2021	24.08.2021

उनवान

श्री कैलाश चन्द्र पिता रूपा सेन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. जमना लाल पिता रामनिवास गुर्जर निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
2. देबीलाल पिता मांगीलाल विश्नोई निवासी जम्बेश्वर नगर भीलवाड़ा
3. पवन कुमार पिता जीवण सिंह जेन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
4. श्रीमति लाड पत्नी छीतर नाई निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
5. श्रीमति लादी पत्नी मदन नाई निवासी लुलास तहसील शहपुरा
6. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टि0एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री कल्याणमल धाकड़ :– अभिभाषक – वादी

<u>निर्णय</u>

उनवानी मामले में वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात खाता सं0 117 खसरा सं0 282 रकबा 0.60 है0 चाही ग्राम लुलास पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। वाद पत्र के पेरा सं0 01 में वर्णित आराजी में लादी पत्नी मदन नाई की खातेदारी में 21/60 हिस्सा निहित था जो जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में अंकित है। श्रीमति लादी पत्नी मदन नाई ने नामान्तरकरण सं0 678 से दिनांक 04.06.2014 को उक्त हिस्से में से 15/60 हिस्सा अर्थात 0.15 है0 भूमि जमनालाल पिता रामकिशन गुर्जर निवासी लुलास को विक्रय कर दी। जमनालाल पिता रामकिशन गुर्जर ने अपने 15/60 हिस्से में से नामान्तरकरण सं0 688 दिनांक 10/60 हिस्सा अर्थात 0.10 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 26.08.2017 को बेचान कर कब्जा वादी का करा दिया। वादी ने अपने खातेदारी के लिये ग्राम पंचायत लुलास में असल रजिस्ट्री पेश की पंचायत ने कोरम में वादी की खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की। खाता सं0 297 पर नामान्तरकरण सं0 688 दिनांक 20.10.2014 का दाखला दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोलते समय वादी का नाम व पिता का नाम तो अंकित कर दिया किन्तु वादी की जाति सहवन से अंकित करने में भूल की अर्थात वादी की जाति नहीं दर्शायी गयी। जिससे संवत् 2076 से 2079 चतुर्थ दर्शीय रोटेशन हाल जमाबंदी में वादी की जाति सेन के बजाय गुर्जर अंकित करदी जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी की

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

जाति सेन अंकित है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खोलते समय भारी भूल की है। वादी अपनी जाति गूजर के स्थान पर सेन कराने का अधिकारी है जो न्यायहित में है। अतः वाद पत्र के पेरा सं0 02 में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 06 के विरूद्ध वादी कैलाशचन्द्र पिता रूपा गुजर के स्थान पर कैलाश चन्द्र पिता रूपा सेन राजस्व दस्तावेज हाल जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री सादिर फरमायी जावे। एवं राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार शाहपुरा को इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.02.2021 को प्रतिवादीगण सं0 01, 03, 04, 05 ने उपस्थित हो इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी 02 की ओर से अभिभाषक श्री शोभागमल कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रकरण जवाब दावा प्रतिवादी 02 के नियत किया गया। दिनांक 17.03.2021 को प्रतिवादी सं0 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया गया। प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 11.05.2021 को पेरोकार सरकार द्वारा ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 24.08.2021 को अभिभाषक वादी द्वारा वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रकरण में बहस करनी चाही जिससे अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लगायत 05 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात आराजी सं0 282 रकबा 0.60 है0 ग्राम लुलास में स्थित है। वादी द्वारा दिनांक 26.08.14 को जरिए विक्रय पत्र आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 0.60 है0 में से 0.10 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदी थी। विक्रय पत्र में वादी का नाम कैलाश चन्द्र पिता रूपा सेन अंकित किया गया था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकण खोलते समय वादी की जाति दर्ज नहीं की जिससे संवत् 2076 से 2079 के रोटेशन में वादी की जाति सेन के बजाय गूजर अंकित कर दी गयी। इस संबंध में राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की गयी है। प्रतिवादी सं0 01, 03 लगायत 05 द्वारा ईकबाली जवाब दावा पेश किया गया है एवं पेरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब में वादी की जाति गुर्जर के बजाय किया जाना उचित बताया है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वाद पत्र में वर्णित आराजियात में वादी का जाति गुर्जर के बजाय सेन संशोधन कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश प्रदान करावें।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड को देखा। विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2014 अनुसार विक्रय पत्र में वादी का नाम कैलाश चन्द्र पिता रूपा सेन अंकित है। नामान्तरकरण सं0 688 खोला गया जिसमें कैलाश चन्द्र पिता रूपा 10/60 जमनालाल पिता रामकिशन 5/60 गुजर सा.देह खातेदार अंकित है। वादी के नाम के आगे जाति अंकित नहीं की गयी है। जिसका अंकन ग्राम लुलास की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में भी किया गया है। ग्राम लुलास भू0अ0निरीक्षक लुलास की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 अनुसार कैलाश चन्द्र पुत्र रूपा हिस्सा 1/6 गुर्जर सा.देह खातेदार अंकन हुआ है। इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में वादी कैलाश चन्द्र की जाति सेन के बजाय गुर्जर अंकित हुई जो गलत है। अतः राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। एवं पेरोकार सरकार द्वारा भी वादी की जाति गुर्जर के बजाय सेन दर्ज किया जाना उचित बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि इंतकाल नम्बर 688 खोला गया जिसमें कैलाश चन्द्र पिता रूपा 10/60 जमनालाल पिता रामकिशन 5/60 गुजर सादेह खातेदार अंकन किया गया है वादी की जाति का इंतकाल में अंकन नहीं होने से त्रुटी हुई है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

-:: आदेश ::-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवाद सं0 06 के स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 06 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम लुलास पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित जमाबंदी संवत् 2076-2079 खाता सं0 117 में दर्ज वादी कैलाश चन्द्र पुत्र रूपा की जाति गुर्जर के स्थान पर सेन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

श्री कैलाश चन्द्र पिता रूपा सेन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. जमना लाल पिता रामनिवास गुर्जर निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
2. देबीलाल पिता मांगीलाल विश्नोई निवासी जम्बेश्वर नगर भीलवाड़ा
3. पवन कुमार पिता जीवण सिंह जेन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
4. श्रीमति लाड पत्नी छीतर नाई निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
5. श्रीमति लादी पत्नी मदन नाई निवासी लुलास तहसील शहपुरा
6. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 04 सन् 2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............................. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम लुलास पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं0 117 में दर्ज वादी कैलाश चन्द्र पुत्र रूपा की जाति गुर्जर के स्थान पर सेन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भी.) राज.

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.